मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 16-03 / 2020/ 2 /34 भोपाल, दिनांक 03 JUN 2020

// आदेश //

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, के आदेश क्रमांक एफ-06/13/2003/34/1/ दिनांक 08 अगस्त 2003 द्वारा गठित "जिला जल एवं स्वच्छता मिशन"(डीडब्ल्यूएसएम) को अधिक्रमित करते हुए, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश (Operational Guidelines) में दिये गये निर्देशों के संदर्भ में एतत् द्वारा "जिला जल एवं स्वच्छता मिशन"(डीडब्ल्यूएसएम) का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :-

1	जिला कलेक्टर	- अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.), जिला पंचायत	– उपाध्यक्ष
3	संभागीय वन अधिकारी	– सदस्य
4	आई.टी.डी.पी. जिलों के परियोजना निदेशक	– सदस्य
5	जिला चिकित्सा अधिकारी	– सदस्य
6	जिला शिक्षा अधिकारी	– सदस्य
7	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग	– सदस्य
8	जिला कृषि अधिकारी	– सदस्य
9	जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी	– सदस्य
10	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	– सदस्य सचिव
11	महा प्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (संबंधित), म.प्र.जल निगम	– सदस्य

12. जल प्रबंधन, सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास आदि के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और स्थानीय सांसद को सदस्य के रूप में सह-योजित किया जा सकता है। ग्राम जल आपूर्ति स्कीमों के प्रशासनिक अनुमोदन देने पर विचार करने और उन्हें अनुमोदन देने, गांव के जल स्त्रोतों की रक्षा और संरक्षा की योजना बनाने ग्रे-वाटर का प्रबंधन करने, जल निकायों/स्त्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने आदि के लिए डीडब्ल्यूएसएम द्वारा मासिक बैठक आयोजित की जाएगी। हर वर्ष जिले की वार्षिक कार्ययोजना बनाने में, जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष/सांसद/विधायक जैसे जन प्रतिनिधियों से उनके मत की जानकारी मांगी जा सकती है।

2/ **जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) को समर्थन देने के लिए कार्य की मात्रा, जिले के आकार के आधार पर निम्नलिखित मानव संसाधन नियोजित किये जायेंगे :**

1. तकनीकी, वित्तीय प्रबंधन और निगरानी के लिए परियोजना प्रबंधक
2. आई.एस.ए.(कार्यान्वयन सहायता एजेन्सी) के लिए समन्वयक

3/6/2020 क्रमशः ...2 .

3. आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा और संचार) के लिए समन्वयक
4. क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण के लिए समन्वयक
5. एम.आई.एस. (प्रबंधन सूचना प्रणाली) के लिए समन्वयक
6. डब्ल्यू.क्यू.एम.एण्ड एस. (जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी) के लिए समन्वयक ।

   (यदि इन्हें अनुबंध के आधार पर नियोजित किया हो तो उपर्युक्त तकनीकी/विषय विशेषज्ञों को राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित दर पर समग्र सहायता गतिविधि निधि से पारिश्रमिक दिया जाएगा)

3/ जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) कार्य निम्नलिखित होंगे :

1. क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connection, FHTC) के लिए प्रत्येक गांव का जायजा लेने के बाद "ग्राम कार्य योजना" तैयार कराना ।
2. वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय करने की दृष्टि से जिला कार्य योजना (District Action Plan) को अंतिम रूप देना ।
3. एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा प्रदत् शक्तियों के अनुसार जिला स्तर अंत: ग्राम जल आपूर्ति स्कीमों परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति की कार्यवाही करना ।
4. तालमेल स्थापित करके गांवों के भीतर मौजूद स्त्रोतों के स्थायित्व से जुडे कार्यों और ग्रे-वाटर प्रबंधन के लिए निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और परियोजनाओं को तभी मंजूरी देना, जब ये घटक डी.पी.आर. का हिस्सा बनाये गए हों ।
5. क्रियान्वयन सहायता संगठन (Implementation Support Agency, ISA) से समर्थन की आवश्यकता वाले गांव की पहचान करना, State Water & Sanitation Mission (SWSM) द्वारा जारी की गई पैनल- सूची में से आई.एस.ए. (ISAs) को नियोजित करना और उनके कार्य निष्पादन की निगरानी करना ।
6. ग्राम कार्य योजना में सक्रिय भागीदारी के लिए पी.एच.ई. विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश् देना और ग्राम पंचायत और/या इसकी उप समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति /प्रयोक्ता समूह आदि के परामर्श से तकनीकी-आर्थिक फीजिबिलिटी शुरू करना, डी.पी.आर.तैयार कराना ।
7. ग्राम कार्य योजना (Village Action Plan, VAP) को अनुमोदित करना, जिसमें अंत: ग्राम अवसंरचना के निर्माण अर्थात रैट्रोफिटिंग या नई योजना का प्राक्कलन और इसके कार्यान्वयन की समय–सारणी शामिल हो ।
8. इकाई की किस्म के डिजाइन का निर्धारण करना और एस.डब्ल्यू.एस.एम. या पी.एच.ई. विभाग, आई.एस.ए. ग्राम पंचायत और/या इसकी उपसमिति यानी वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तय की गई लागत के अनुमोदन की कार्यवाही करना ।
9. 'ग्राम कार्ययोजना' से उभरने वाले अनुमानित वार्षिक आवश्यकता के आधार पर पैनल-सूची में से ऐजेंसी को नियोजित करना और उसे कार्य सौंपना ।
10. एजेंसी को भुगतान करने से पहले कार्य के निरीक्षण के लिए अन्य पक्ष की एजेंसी को नियुक्त करना ।
11. ग्राम पंचायतों की उपसमिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूहों आदि के गठन में सहायता देना और योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में मार्गदर्शन देना ।
12. ग्राम पंचायत और/या इसकी उपसमिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोकुता समूह आदि के साथ समन्वय करना, सूचनाओं का मिलान करना, 'जिला कार्य योजना' तैयार करना और इसे एस.डब्ल्यू.एस.एम. को भेजना ।

M 03/06/2020

13. पी.एम.के.वी. (प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र) के साथ मिलकर जल जीवन मिशन के तहत अन्त ग्राम अवसंरचना बनाने के लिए ग्राम पंचायत/और या उसकी उपसमिति, यानी वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा नियुक्त किये जाने योग्य कुशल मानव संसाधन का एक समूह बनाना। उनका पारिश्रमिक भुगतान, समग्र सहायता गतिविधि निधि में से किया जा सकता है।
14. आई.एम.आई.एस.(IMIS) पर जल जीवन मिशन की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का नियमित अपडेट सुनिश्चत करना और उनका सत्यापन करना।
15. वास्तविक भौतिक और वित्तीय कार्य निष्पादन की निगरानी और मूल्यांकन करना।
16. एन.जी.ओ./ वी.ओ./सी.बी.ओ (गैर सरकारी संगठन/ ग्राम संगठन/ समुदाय आधारित संगठन) भागीदारों की तैनाती, आई.एस.ए. (कार्यान्वित सहायता एजेंसी) के रूप में युक्त बनाना।
17. आई.ई.सी./बी.सी.सी. (सूचना, शिक्षा और संचार / व्यवहार परिवर्तन संचार) रणनीति को कार्यान्वित करना और उसके लिए निर्धारित सहायता निधि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना।
18. जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किए जाने वाले ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना, जो ग्राम पंचायत और/ या इसकी उपसमिति, यानि वी. डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह,आदि का क्षमता संवर्धन करेंगे।
19. ग्राम पंचायत और / या इसकी उपसमिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह, आदि से कार्यारम्भ का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद आई.एम.आई.एस. पर एफ.एच.टी.सी. की जानकारी अपलोड कराना।
20. जल जीवन मिशन के आई.एम.आई.एस. और जिले के भीतर की रिपोर्टों, सफलता की कहानियों, सर्वोत्तम प्रथाओं को अनुमोदन देना और उन्हें साझा करना।
21. जल जीवन मिशन के संबंध में केन्द्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा शुरू किये गये सभी अभियानों का संचालन करना।
22. समय-समय पर अच्छे कार्य निष्पादन वाली ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप समिति अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि और आई.एस.ए. को मान्यता देना।
23. सुधारात्मक कार्यवाई के लिए स्वास्थ्य संकेतकों, जल जनित बीमारियों आदि के आंकड़ों का विश्लेषण करना।
24. जहॉ भी आवश्यक हो, ग्राम पंचायत और /या उसकी उपसमिति अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि के लिए प्रत्यक्ष अनुभव–यात्राओं की व्यवस्था करना।
25. सुनिश्चित करना कि जल जीवन मिशन आरम्भ कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गावों में निर्धारित प्रारूप में राज्य विशिष्ट नारे चित्रित किये जायें।
26. सूखे/बाढ़ जैसी आपदाएं आने पर आवश्यक कदम उठाना।
27. शिकायत निवारण करना।
28. सुनिश्चित करना कि समस्त जानकारी आई.एम.आई.एस. पर उपलब्ध हो।
29. उपरोक्त के सहित जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका में उल्लेखित अन्य दायित्वों का निर्वहन।

03/06/2020

(मलय श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ.क्रमांक एफ 16-03 / 2020/ 2 /34 भोपाल, दिनांक 03 JUN 2020

प्रतिलिपि -

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं अध्यक्ष, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
   अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, जनसंपर्क विभाग , स्कूल शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, जल एवं स्वच्छता विभाग, नई दिल्ली
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. जल निगम, भोपाल
4. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल
5. प्रमुख अभियंता (सलाहकार), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल
6. कलैक्टर, जिला ..... (समस्त), म.प्र., की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ..... (समस्त), म.प्र., की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
8. उप संचालक, जन संम्पर्क (मंत्रालय प्रकोष्ठ)।

03/06/2020

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग